


27/10/20

वकील वारी अपन वकील वारी को प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्ट्रार ए.डी. तलबाना पेश करने हेतु दिनांक 23/12/2019, 12/02/20 को आदेशित किया गया लेकिन वकील वारी ने रजिस्ट्रार ए.डी. तलबाना पेश नहीं किया वकील वारी के आग्रह करने पर दिनांक 20/08/20 को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना पेश करने हेतु आदेशित में एक और अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त श्री वारी ने तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं किया अतः वाद वारी अन्तर्गत धारा 09 R O S CPC के तहत अदम तकमील (NON-compliance) में रजिस्ट्रार किया जाता है पचावगी नम्बर से कम होकर वाद तकमील दायित्व दफ्तार हो

सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
अलवर

2019

189

रमेश

